अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/152/2017-18 — 13 फरवरी, 2018

सेवा में,

श्री राजेश लाल,
अवर सचिव/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रु हाउस, नई दिल्ली -1

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री ओमप्रकाश निवासी WP-129, वजीरपुर गांव, अशोक विहार, दिल्ली-110052 का 29.01.2018 का पत्र इस सचिवालय में 08.02.2018 को प्राप्त हुआ है, जिसके साथ इन्होंने बीस रूपये का पो.आ. संख्या 18जी 289369 संलग्न कर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपने आवेदन में वर्णित विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है चूंकि इनके पत्र की विषय-वस्तु आपके विभाग से संबंधित है, अतः इनका आवेदन पत्र आपको हंस्तातरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्ताक्षरी को सूचित करते हुए आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री ओमप्रकाश WP-129, वजीरपुर गांव, अशोक विहार, दिल्ली-110052- कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST

R-TI No-152

तारीख 29.1.20

सेवा में
जन सूचना अधिकारी

O/o Hon'ble Vice-President of India, Vice-President's Secretariat,

6, Maulana Azad Road, NEW DELHI - 110 011

विषय –प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत
महोदय,

विश्वमामलों की भारतीय परषिद् (Indian Council of World Affairs (ICWA)) जो 2001 में संसद दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित विधेयक के उपरांत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। परिषद विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और हर साल बजट मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बाकी विवरण(www.icwa.in) मैं उपलब्ध है।
मैं ओमप्रकाश WP–129 वजीरपुर गाँव, अशोक विहार दिल्ली–110052, सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित जानकारी चाहता हूँ:

1. कृपया बताएं कि ICWA मैं सभी कर्मचारी अपनी हाजरी (अटेंडेंस) भारत सरकार के आदेश द्वारा (प्रतिलिपि संलग्न) बायोमीट्रिक अटेंडेंस का उपयोग करते है।
2. कृपया बताएं ICWA मैं कुल कितने कर्मचारी है चाहे वो भारत सरकार द्वारा तैनात किये गये है। रेगुलर कर्मचारी/आउटसोर्स कर्मचारी/कॉन्ट्रैक्ट/इत्यादि कर्मचारी मिलाकर बताएं कि कितने कर्मचारी ICWA मैं कार्य करते है।
3. कृपया बताएं कि जो कर्मचारी अपनी अटेंडेस भारत सरकार के आदेश द्वारा बायो मेंट्रिक अटेंडेंस का उपयोग नहीं करते है उनके खिलाफ मंत्रालय (भारत सरकार) के किस नियम के अनुसार क्या कार्यवाही की जा सकती या करती है।
4. कृपया बताएं कि ICWA में जो कर्मचारी भारत सरकार द्वारा तैनात किये गये है क्या वो सभी अपनी हाजरी भारत सरकार के आदेश के अनुसार बायोमीट्रिक अटेंडेस का उपयोग करते है।
5. कृपया बताएं कि ICWA में महानिदेशक और उप महानिदेशक अपनी हाजरी भारत सरकार के आदेश द्वारा बायामेंट्रिक अटेंडेंस का उपयोग करते है। अगर नही करते है तो कृपया बताएं कि महानिदेशक और उपमहानिदेशक किस (भारत सरकार) नियम के तहत वह अपनी अटेंडेंस बायोमीट्रिक अटेंडेंस का उपयोग नहीं करते।
6. कृपया बतायें कि भारत सरकार में एक कर्मचारी को कितने घंटे काम करना चाहिए और अगर वह मानक समय से अधिक कार्य करते हैं उसे मानक समय से अधिक कार्य करने के लिए क्या ओवर टाइम मिलता है।
7. कृपया बताये ICWA में कर्मचारी कितने घंटे काम करते है और कार्यालय का समय क्या है।
8. कृपया बतायें ICWA में कुल कितने MTS/चोकीदार है, अगर नहीं है तो उनकी जगह कौन कार्य करता है और कितने घंटे (समय) काम करते हैं और अगर वह भारत सरकार के मानक समय से अधिक समय तक कार्यलय में रहकर कार्य करते है तो उन्हें (भारत सरकार) किस नियम के अनुसार ओवर टाइम इत्यादी का भुगतान करता है।
9. कृपया बतायें ICWA कोई कर्मचारी भारत सरकार के मानक समय से अधिक समय तक ऑफिस मैं रहकर कार्य करते है तो और ICWA उसे भारत सरकार के किस नियम के अनुसार ओवरटाइम इत्यादी का भुगतान नहीं करता है कृपया उस नियम का उल्लेख करें।
10. कृपया बतायें ICWA की सर्विस रेगुलेशन और रिक्रूटमेंट रूल में कितने MTS/चोकीदार स्वीकृति पोस्ट हैं, अगर वर्तमान रुल के तरत स्वीकृति पोस्ट से कम MTS काम कर रहे तो कब से वह पोस्ट खाली है और खाली होते ही उसे कितने समय के अन्दर भरना होता है और तय समय के अंदर न भरी जाये तो क्या नियम अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियम अनुसार क्या प्रशाशनिक कार्यवाही कर सकते हैं और किसी तरह की कार्यवाही भी की गयी है कृपया नियम बतायें।

कृपया उपरोक्त जानकारी प्रार्थीको शीघ्र उपलब्ध कराये

जो पैसे/ग्राट को ICWA मिलती है वो भारत सरकार से मिलती है और यह पब्लिक का पैसा है उस का हिसाब मिलना चाहिए जो जानकारी प्रार्थी चाहता है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से प्रतिबन्धित नही है।
इस प्रार्थना पत्र के साथ फीस के रूप मैं पोस्टल ऑर्डर नं.18G 289369 दिनांक 24.1.2018 रूपए 20/–संलगन है।

प्रार्थी

OmPrakash
ओमप्रकाश
WP–129, वजीपुर गाँव
अशोक विहार दिल्ली–110052